

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 231

बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लू चलना

†231. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री के. सुधाकरन:

डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019 से अब तक लू लगने के कारण वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मौतें हुई हैं;
- (ख) सरकार देश में भीषण लू लगने के कारण पीड़ितों को किस प्रकार मुआवजा देने की योजना बना रही है;
- (ग) आगामी वर्षों में देश भर में भीषण लू चलने के पूर्वानुमान संबंधी रिपोर्टों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार की भारत में लू चलने को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की योजना है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अनुसार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- (ख) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि(एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) के माध्यम से अपने संसाधन उपलब्ध हैं। यदि राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार इस पर विचार करती है।
- (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिससे लू सहित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मदद मिली है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
  - i. ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना, उसके बाद तापमान और लू की स्थितियों का विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना।
  - ii. राज्य सरकार के प्राधिकरणों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को योजना बनाने और उपयुक्त कार्रवाई करने में मदद करने के लिए संपूर्ण भारत में जिलावार लू संवेदनशीलता एटलस।

- iii. भारत में गर्म मौसम के संकट का विश्लेषण जिसमें दैनिक तापमान, पवनें और आर्द्रता की स्थिति शामिल है।
- iv. पूरे देश के लिए लू सूचकांक पूर्वानुमान और जिला स्तरों पर लू की स्थितियों का प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान।
- v. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर वास्तविक समय में लू की सूचना और चेतावनियां।
- vi. लू की स्थितियों से प्रभावित 23 राज्यों में लू कार्य योजना (HAPs) को राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया।
- vii. समय पर सार्वजनिक पहुंच के लिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम आदि जैसी प्रसारण प्रणालियों के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के साथ-साथ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रसारण सेवाओं में सुधार।

(घ) वर्तमान में एनडीआरएफ/एसडीआरएफ सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएँ अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला तथा पाला और शीत लहर शामिल हैं। आपदाओं की मौजूदा अधिसूचित सूची में और आपदाओं को शामिल करने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में पाया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (एनडीआरएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची बहुत सीमा तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इसलिए इसके दायरे को बढ़ाने के अनुरोध विचारणीय नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन एसडीआरएफ के वार्षिक निधि आबंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती हैं, जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

2019-2022 के दौरान लू/आतपाघात के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मृत्यु:

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	128	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	3	0	0	1
4	बिहार	215	53	57	78
5	छत्तीसगढ़	16	3	2	11
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	27	12	8	5
8	हरियाणा	46	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
10	झारखंड	88	23	33	47
11	कर्नाटक	4	1	0	2
12	केरल	3	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	33	7	2	27
14	महाराष्ट्र	159	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	84	१३	15	38
20	पंजाब	90	110	91	130
21	राजस्थान	54	23	1	12
22	सिक्किम	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	2	2
24	तेलंगाना #	156	98	43	62
25	त्रिपुरा	1	2	0	2
26	उत्तरप्रदेश	117	50	35	130
27	उत्तराखंड	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	49	6	11	18
	<b>कुल राज्य</b>	<b>1274</b>	<b>530</b>	<b>374</b>	<b>729</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव @ +	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	1
33	जम्मू और कश्मीर @ *	0	0	0	0
34	लद्दाख@	-	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
	<b>कुलसंघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>कुल (संपूर्णभारत)</b>	<b>1274</b>	<b>530</b>	<b>374</b>	<b>730</b>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' 2013-2019 के दौरान तत्कालीनदादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'\*' 2013-2019 के दौरान लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े

'#' 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकड़े

'@' 2020 में नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़े

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय